आ.अपील

380/2019/25/ATA

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

भैरूनाथ वि. भूरनाथ (मृ.) राजूनाथ

तारीख	2019/00380 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री भवानी सिंह रावत श्री महेन्द्र चौधरी	

भैरूनाथ बनाम भूरनाथ वगैरह

30/9/22 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1/1./6, 1/2, 1/3 एवं रेस्पोडेन्ट 1/1./6, 1/2, 1/3 उपस्थित नहीं हुए। अभिभाषक रेस्पोडेन्टस एवं रेस्पोडेन्टस को कई बार रूक-रूक कर आवाजें दिलाई गई, किन्तु उपस्थित नही हुए। अभिभाषक अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1/4, 2/1/1 से 2/1/4, 2/2, 2/3/1 से 2/3/3, 2/4 के नोटिस अखबार दैनिक नवज्योति में दिनांक 18.09.2022 को प्रकाशित किये गये थे की प्रति फर्द दस्तावेज के साथ पेश किये। उपरोक्त सभी को कई बार-बार रूक आवाजें दिलाई गई, किन्तु उपस्थित नहीं हुए।

अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4, 09 सपठित धारा 151 जा.दी. व धारा 5 मियाद अधिनियम (रेस्पोडेन्ट संख्या 02) पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्रों व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हम न्यायहित में प्रार्थना पत्र में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी. को स्वीकार किया जाता है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 राजूनाथ के वारिसान श्रीमती नर्मदा देवी, भीमानाथ, सुरेशनाथ, गणेशनाथ, 2/2 शंकर नाथ, गोडूनाथ, 2/3/1 श्रीमती मोहनी देवी, 2/3रु2 नक्खानाथ 2/3/3 बबलूनाथ व 2/4 अर्जुननाथ को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

तत्पश्चात् अभिभाषक अपीलांट को अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व अपील पर सुना गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कारण संतोषजनक होने के कारण न्यायहित में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनरथ न्यायालय को प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र को खारिज किये जाने के पूर्व प्रार्थीगण को अंतिम अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था क्योंकि प्रार्थीगण का प्रकरण पूर्व में अपने द्वारा नियुक्त अधिवक्ता की गलती के कारण अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया था एवं प्रार्थीगण द्वारा नये अधिवक्ता को नियुक्त करते हुए उक्त बाजदायरी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था एवं उक्त प्रार्थना-पत्र में भी प्रार्थी द्वारा नियुक्त नये अधिवक्ता को न्यायहित में प्रकरण में अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आगामी पेशी प्रदान कर देनी चाहिए थी एवं प्रार्थीगण को स्वयं के नाम के नोटिस जारी करवाये जा सकते थे, किसी अधिवक्ता की गलती का खामिगाजा पक्षकार को नहीं भुगताया जा सकता है। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि वकील की गलती का खामियाजा पक्षकारों को नहीं भुगताया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनरथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2017 निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थीगण/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र को नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनरथ न्यायालय की पत्रावली व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन माननीय उच्चतर न्यायालय ने अपने विभिन्न आदेशों में यह कथन किया कि " वकील की गलत के कारण मामला खारिज तथा मुवक्किल पीड़ित नही होना चाहिए" एवं प्रकरण तकनीकि बिन्दु पर खारिज नही किये जाकर,

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज फै

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

380/2019/225

तारीख / पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील जारी हुए
2019/00380	श्री भवानी सिंह रावत श्री महेन्द्र चौधरी	
लगातार	मेरिट पर निस्तारण किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि उनके समक्ष विचाराधीन बाजदायरी प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षों को सुनकर निर्णित करना चाहिए था। बाजदायरी प्रार्थना–पत्र को तकनीकी आधार पर खारिज नहीं करना चाहिए था। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा बाजदायरी प्रार्थना–पत्र पर पारित आदेश दिनांक 27.07.2017 को निरस्त किया जाता है तथा बाजदायरी प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	